हुसैनआरा खातून और अन्य

बनाम

गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना

(Hussianara Khatoon and Others

V.

Home Secretary, State of Bihar, Patna)

(4 मई, 1979)

(न्यायाधिपति पी० एन० भगवती और ओ० चिन्नप्पा रेड्डी)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 21—जिस अवधि के लिए विचारणाधीन कैदियों को दोषसिद्धि होने पर कारावास का दण्ड दिया जा सकता था, उस से भी अधिक समय तक कारावास में उन्हें रखा जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है।

प्रत्यर्थी विहार राज्य में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष, स्त्री और बच्चे लम्बी कालावधियों से विचारणाधीन कैदियों के रूप में कारावास में बन्द थे। इनमें से कुछ पर एक से अधिक अपराधों का आरोप था, किन्तु वे उस अधिकतम अवधि से भी अधिक जेल में रह चुके थे, जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध होने पर उस दशा में दण्डादिष्ट किया जा सकता था, जबकि उन्हें दिए गए दण्ड क्रमवर्ती, न कि समवर्ती, होते। उनके विषय में समाचारपत्र में विवरण प्रकाशित होने पर प्रस्तुत पिटीशन फाइल किया गया। दण्ड की अधिकतम सीमा से भी अधिक समय तक कारावास में रह चुके विचारणाधीन कैदियों की उन्मुक्ति का आदेश देते हुए और अन्य कैदियों के विषय में आवश्यक निदेश देते हुए,

अभिनिर्धारित—जिन विचारणाधीन कैदियों पर एक से अधिक अपराधों का आरोप है और जो पहले ही उस अधिकतम अवधि के लिए जेल में रह चुके है जिसके लिए उन्हें दोषसिद्धि होने पर उस दशा में दण्डादिष्ट किया जा सकता था जबकि वे दिए गए दण्ड क्रमवर्ती, न कि समवर्ती, होते।

उन्हें और एक क्षण भी जेल में रखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के निरोध का जारी रहना केवल मानवीय गरिमा का ही नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उनके मूल अधिकार का भी स्पष्ट रूप से अतिक्रमण होगा। अतः यह निदेश दिया गया कि इन विचारणाधीन कैदियों को तत्काल उन्मोचित कर दिया जाए। (पैरा 2)

आरम्भिक अधिकारिता : 1979 का रिट पिटीशन संख्या 57

पिटीशनरों की ओर से श्रीमती के०. हिंगोरानी
प्रत्यर्थी की ओर से श्री यू० पी० सिंह

अभिलेख-अधिवक्ता

पिटीशनरों की ओर से श्रीमती के० हिंगोरानी
प्रत्यर्थी की ओर से श्री यू० पी० सिंह

न्यायाधिपति पी० एन० भगवती और ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने न्यायालय का निम्नलिखित आदेश 4 मई, 1979 को दिया।

आदेश

यह पिटीशन अतिरिक्त निदेशों के लिए पेश हुआ है। विहार राज्य की ओर से श्री यू० पी० सिंह ने बताया है कि हमारे द्वारा 19 अप्रैल, 1979 को किया गया* आदेश, जिसमें सुक्खन साह और गंगा प्रसाद को, जो भागलपुर केन्द्रीय जेल में निरुद्ध विचारणाधीन कैदी हैं और जो श्रीमती हिंगोरानी द्वारा 16 अप्रैल, 1979 को दी गई सूची में उल्लिखित हैं, उन्मोचित किए जाने का निदेश दिया गया है, सही नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त संवीक्षा करने पर यह पाया गया है कि वे ऐसे विचारणाधीन कैदियों के प्रवर्ग में नहीं आते जो उस कालावधि से अधिक तक जेल में रह चुके हैं जो दोषसिद्ध किए जाने पर उन्हें दण्डित किए जा सकने की अधिकतम अवधि है। इसलिए हम सुक्ख साह और गंगा प्रसाद को उन्मोचित करने का निदेश देने वाले अपने आदेश को वापस लेते हैं। उनके मामले हम उस समय पुनः विचार करेंगे जब गर्मी की छुट्टियों के पश्चात् न्यायालय के खुलने पर उन रिट पिटीशन की अन्तिम सुनवाई की जाएगी।

2. श्रीमती हिंगोरानी ने हमें उन विचारणाधीन कैदियों की सूची दी है जिन पर एक से अधिक अपराधों का आरोप है और जो पहले ही

उस अधिकतम अवधि के लिए जेल में रह चुके हैं जिसके उन्हें दोषसिद्धि होने पर उस दशा में दण्डादिष्ट किया जा सकता था जबकि वे दिए गए दण्ड क्रमवर्ती, न कि समवर्ती, होते। सामान्यतया जब किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराधों का अभियोग होता है, तो उस पर अधिरोपित कारावास के दण्डादेश समवर्ती रूप से चलने का निदेश दिया जाता है, किन्तु यदि यह मान लिया जाए कि कारावास के दण्ड क्रमवर्ती भी हो सकते हैं, तो भी श्रीमती हिंगोरानी की सूची में उल्लिखित ये विचारणाधीन कैदी उस अधिकतम कालावधि के लिए कारावास पहले ही भुगत चुके हैं, जिसके लिए उन्हें दोषसिद्धि होने पर जेल भेजा जा सकता था। इस बात का बिल्कुल कोई कारण नहीं है कि उन्हें और एक क्षण भी जेल में क्यों रहने दिया जाए क्योंकि इस प्रकार के निरोध का जारी रहना केवल मानवीय गरिमा का ही नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उनके मूल अधिकार का भी स्पष्ट रूप से अतिक्रमण होगा। अतः, हम निदेश देते हैं कि विचारणाधीन कैदियों को तत्काल उन्मोचित कर दिया जाए।

3. हमारे समक्ष श्रीमती हिंगोरानी द्वारा दी गई विचारणाधीन कैदियों की ऐसी सूची भी है जिसमें उन विचारणाधीन कैदियों के नाम और विशिष्टियां दी गई हैं जिन पर एक से अधिक अपराधों का अभियोग है और जो उस अधिकतम अवधि से अधिक कालावधि तक जेल में रह चुके हैं जिसके लिए उन्हें उन दंण्डादेशों के आधार पर जो समवर्ती थे, दोषसिद्धि होने पर दण्डादिष्ट किया जा सकता था, यद्यपि, यदि दोषसिद्धि होने पर उन पर अधिरोपित कारावास के दण्ड क्रमवर्ती रूप से चलाने का निदेश दिया जाता, विचारणाधीय कैदियों के रूप में उनके निरोध को अधिकतम अवधि से अधिक नहीं कहा जा सकता। इस समय हम उन्हें बिना शर्त उन्मोचित किए जाने का निदेश नहीं दे रहे हैं, किन्तु जब उन्हें मजिस्ट्रेटों या सेशन न्यायालयों के समक्ष पेश किया जाएगा, तो उन्हें किसी प्रतिभू के बिना और वित्तीय क्षमता का सत्यापन किए बिना ही केवल 50 रुपए का स्कीम बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर जमानत पर उन्मोचित कर दिया जाएगा। हम यह निदेश देते हैं कि इस आदेश की एक प्रति पटना उच्च न्यायालय के माध्यम से उन मजिस्ट्रेटों और सेशन न्यायालयों को भेज दी जाए जिनके समक्ष इन विचारणाधीन कैदियों के मामले लम्बित हैं, जिससे कि उनके द्वारा इन विचारणाधीन कैदियों के पक्ष में जमानत मंजूर करने वाले आवश्यक आदेश जल्दी से जल्दी पारित कर दिए जाएं। उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेटों और

1979(5) ILR(PAT) SC 1

सेशन न्यायालयों से अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसे जून, 1979 के मध्य तक हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

4. हमने तारीख 9 मार्च, 1979 वाले पूर्ववर्ती निर्णय में यह बता दिया था कि शीघ्रता से विचारण करना, अनुच्छेद 21 के अधीन गारण्टीकृत मूल अधिकार का अंग है और इस मूल अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए बिहार राज्य में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों और सेशन न्यायालयों में से प्रत्येक में 31 दिसम्बर, 1978 को लम्बित मामलों की कुल संख्या सहित इन न्यायालयों की अवस्थिति सम्बन्धी विशिष्टियां ऐसे लम्बित मामलों के वर्ष-प्रति-वर्ष के आंकड़े देते हुए और यह भी स्पष्ट करते हुए कि उनमें से ऐसे मामलों का निपटारा सम्भव क्यों नहीं हो सकता जो छह मास से अधिक से लम्बित रहे हैं, लेना आवश्यक है । अतः हमने तारीख 9 मार्च, 1979 वाले अपने आदेश द्वारा पटना उच्च न्यायालय से ये विशिष्टियां मंगाई थीं और हमारे निदेशों के अनुसरण में उच्च न्यायालय ने विस्तृत सारणी में ये विशिष्टियां भेजी हैं और हमें यह भी सूचित किया है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और सेशन न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियत निपटारे के आदर्श क्या हैं, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह जानकारी पर्याप्त नहीं है । हम उच्च न्यायालय से यह भी जानना चाहेंगे कि लम्बित फाइलों को और आने वाले मामलों की औसत तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और सेशन न्यायाधीश के लिए नियत निपटारे के आदर्श को ध्यान में रखते हुए कितने और न्यायालय तथा न्यायाधीश और किन स्थानों पर आवश्यक हैं । उच्च न्यायालय को हमें यह भी सूचित करना चाहिए कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों और सेशन न्यायालयों में कर्मचारिवृन्द और उपस्कर के रूप में कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यक हैं, जिनकी कमी दाण्डिक मामलों के निपटारे में विलम्ब के लिए उत्तरदायी है और शीघ्रता से विचारण के मूल अधिकार को लागू करने में रुकावट डाल रही है । यह अतिरिक्त जानकारी, जो निस्सन्देह मामलों के इस समय प्रत्याशित रूप से फाइल किए जाने के समुचित और सावधानीपूर्ण विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर निकाली जाएगी, उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को 30 जून, 1979 तक पांच प्रतियों में भेज देनी चाहिए और इन पांच प्रतियों में से एक प्रति श्रीमती हिंगोरानी को दे दी जानी चाहिए और दूसरी बिहार राज्य की ओर से श्री यू० पी० सिंह को दी जानी चाहिए । यदि बिहार राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का

1979(5) eILR(PAT) SC 1

या उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रस्थापनाओं की विधिमान्यता का प्रतिरोध करना चाहे, तो बिहार राज्य 20 जुलाई, 1979 को या उससे पूर्व उत्तर में शपथपत्र फाइल कर सकता है। यह न्यायालय अपने समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर इस बारे में विनिश्चय करेगा कि अधिक न्यायालय स्थापित करने, अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने और कर्मचारिवृन्द तथा उपस्कर के रूप में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या निदेश दिए जाएं जिससे अभियुक्त के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन शीघ्रता से विचारण के मूल अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो जाए।

5. अब रिट पिटीशन अन्तिम सुनवाई के लिए 24 जुलाई, 1979 को पेश किया जाएगा।

तदनुसार आदेश किया गया।

श्या०/श्री०